



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरास कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



संख्या के. रा. फ़ा./11-5 (निलामी)/उद्यान /2024-25

दिनांक 06/03/2025

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding fruit contract of Central State Farm, Hisar situated at 10 km Sirsa Road, Hisar for plucking and sale of fruits situated in an area of 51.00 hactere for a period of one year starting from 01/04/2025 to 31/03/2026. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from <https://indiaseeds.envida.com> & www.indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	07.03.2025
Tender Document Download Start Date/time	From 07.03.2025– 10:00 AM onwards
Tender Document Download End Date/time	To - 31.03.2025 – upto 1:00 PM
Date and time for submission of online bid	From 07.03.2025– 10:00 AM onwards To - 31.03.2025 – upto 1:0 PM
Date and time of opening of Technical Bid & Financial Bids in Online mode at C.S.F,Hisar.	Technical Bids Opening : At 2.30 PM on 31.03.2025 Financial Bids Opening: Later on after evaluation of Technical Bids.
Tender Fee to be deposited online	Rs.1180(One Thousand one hundred eighty) (including18 % GST)
EMD	EMD : Rs.1,00,000/- (Rs One lac Only) to be deposited online by RTGS/NEFT Security Deposit : 8% of fruit value Note: E.M.D of Rs 1.0 lac will be returned after completion of auction period and successful bidder will have to deposit 25 % of fruit value and 8 % security money of fruit value within two days and balance amount of fruit value as per terms and condition. 8 % security money will be returned after completion of tender period. Demand Draft or Bank Guarantee drawn in favour of National Seeds Corporation Ltd, Hisar.
Security Deposit (To be deposited by successful	
Address for Communication	Farm Head, Central State Farm, 10 Km Sirsa Road, Hisar-125001 (Haryana)
Contact Person (with Phone No &E-Mail)	Bhag Singh (AM Horticulture) Central State Farm, 10 Km. Sirasa Road ,Hisar-125001 (Haryana) Mob : 8219586218, email : csf.hisar@indiaseeds.com
This Tender Document contains Two Parts	
Technical Bid : Terms and Conditions of fruit contract giving details of EMD details, Eligibility criterias for participating in the tenders, Details of documents to be submitted by the tenderer, nature of work to be performed by the fruit contractor.	
Financial Bid : Financial bid document	

NSC reserves the right to make any alteration/modification in the Tender Document or scrap the tender at any stage without assigning any reason.

Farm Head

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

SECTION-1

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc.) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पुसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



संख्या के. रा. फा./11-5 (निलामी)/उद्यान /2024-25

दिनांक 06/03/2025

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में वर्ष 2025-26 में फलों की निलामी हेतु नियम व शर्तें ।

1. ठेकेदार को टेंडर में भाग लेने हेतु अपनी पहचान के साक्ष्य के तौर पर कम से कम एक पहचान / सबूत जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, खेत का खसरा खतौनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि निविदादाता ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात सांझीदारों से संबंधित हो। यदि निविदादाता / ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी का है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा नियम/अन्तर्नियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व निदेशक मंडल के सदस्य गण की सूची उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को बोली / टेंडर में सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि रु० 100000/- (एक लाख रुपये)। इसके बिना निविदा/ टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो कि असफल बोलीदाता को टेंडर समाप्त होने पर बिना ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी।
3. सफल निविदादाता को फार्म द्वारा बाग के फलों की स्वीकृती होने के पश्चात 48 घण्टे के अन्दर स्वीकृत राशि का 8 % प्रतिभूति राशि (security money) तथा स्वीकृत राशि का 25% डिमाण्ड ड्राफ्ट / आर टी जी एस द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड देय हिसार हो, फार्म के खाते में जमा करानी होगी तथा इसके साथ स्वीकृत राशि की बैंक गारंटी अथवा संपत्ति के कागजात देना भी अनिवार्य है ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमा कराई गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. यह प्रतिभूति राशि व धरोहर राशि ठेके के सन्तोषजनक पूरा होने पर फार्म द्वारा ठेकेदार को वापिस कर दी जाएगी। इस राशि पर कोई व्याज फार्म द्वारा नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिभूति राशि व धरोहर राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा फार्म में जमा होने वाली राशि में समायोजित नहीं की जाएगी।
5. अगर सफल निविदादाता फार्म में प्रतिभूति राशि 48 घण्टे में डिमाण्ड ड्राफ्ट / आर टी जी एस द्वारा जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवाई गई धरोहर राशि रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी व बाग का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

6. फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये टेंडर / निविदा को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकते हैं।
7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न भिन्न होगी जिसको फलों की नीलामी के समय फलों की प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार अवगत कराया जाएगा। ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फल वृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुकाई शीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशाशन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। खरीददार को नीबू प्रजाति के फलों को **28 फरवरी, 2026**, अमरूद **31 मार्च 2026** तक, बेर फलों **30 अप्रैल 2026** तथा बेल **31 मई 2026** तक व अन्य फलों को (वर्ष **2025-26**) **31 मार्च 2026** तक तोड़ने का अधिकार होगा।
8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य यांचित कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि यह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि यह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांचित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया गया तो ठेकेदार उसका विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अधषा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी व फार्म प्रमुख को देगा।
10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार का होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/सुखा/वर्षा/ओला/पाला आदि प्राकृतिक /अप्राकृतिक से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
11. यदि फल ठेकेदार फलों का एकत्रीकरण व चुगाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह अनुबन्ध के समय एक अधिकार पत्र व प्रार्थना पत्र फार्म प्रमुख को देगा केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को स्वीकृति के लिए अनुबन्ध पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी को भी देगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार व उसके द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे वो भी अनुबन्ध के समय फार्म के बाग के प्रभारी व सम्बन्धित अधिकारी तथा फार्म प्रमुख को देना होगा। फार्म प्रमुख द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि / कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा, पैकिंग, ढुलाई आदि ठेके से संबंधित कार्यों हेतू फार्म के उद्यान /सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म / उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो फल ठेकेदार / खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फल की अधिकत मात्रा 10 क्विंटल व फालसा फल 50 किलो ग्राम

हिसार फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उत्तका हर्जाना नहीं दिया जाएगा।

13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए फल ठेकेदार / खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्रमुख द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान फल ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले फार्म प्रमुख केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार, का निर्णय अन्तिम होगा।
14. नीलामी के उपरान्त फल ठेकेदार / खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, बुलाई आदि समस्त फल वितरण कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे घुँगी, नगर पालिका सेस आदि यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
15. फल ठेकेदार / खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर फार्म प्रमुख। केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को जमा की गई प्रतिभूति राशि व धरोहर धनराशि व अन्य चुकाई गई किश्त व राशिको जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना फार्म प्रमुख महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तांतरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति को नहीं करेगा।
16. इस सौदे के लिए रु. 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 7 दिनों के अन्दर ही करना होगा।
17. खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार /खरीददार द्वारा फार्म खंजाची के पास जमा करानी होगी।
18. नीलामी के पश्चात अगर बोलीदाता फार्म द्वारा दी गई निश्चित तिथियों पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म प्रशासन द्वारा फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करवाने पर, फार्म द्वारा ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बाकी बचे फलों को बिना नीलामी को बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि व धरोहर धनराशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि पुनः ठेके की प्रक्रिया में या फार्म द्वारा स्वयं बेचने पर कोई हानि फार्म को होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में प्रतिभूति राशि व धरोहर राशि और उस समय तक जमा की गई किश्त की राशि

जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में ठेका राशि से कम धन राशि आती है तो वह राशि ठेकेदार से वसूली जाएगी।

20. साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने की अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी। किसी भी भार वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म के प्रतिनिधि से करवा कर व गेट पास लेना आवश्यक होगा।
 21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो उन्हें संस्था या कम्पनी का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 22. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा / अभद्रता नहीं करेगा। सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार को 5 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
 23. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी अस्त्र शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश नहीं करेगा व बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने का कृत्य नहीं करेगा ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाई की जायेगी।
 24. **खरीददार की उच्चतम बोली की धन राशि जमा करने की शर्त:-**
 1. ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 25% बोली मंजूर होने के तुरंत बाद जमा करना होगा। यदि कोई ठेकेदार पूरी राशि तुरन्त जमा नहीं कर पाता है तो बकाया राशि 18% वार्षिक ब्याज के साथ दो दिन के अन्दर जमा करवानी होगी। निर्धारित समस्त धन राशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबंध कर, कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।
 2. नीलामी धनराशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ: यदि विभिन्न फसलों की नीलामी एक साथ की जाती है तो 75 प्रतिशत बकाया धन किस्तों में देना होगा जो कि निम्न प्रकार निश्चित होगा।
- क- **20 प्रतिशत धनराशि 18 जून 2025** तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 20 जून 2025 से पहले आम फल तोड़ता है तो 20 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
- ख- **25 प्रतिशत धनराशि 25 अगस्त 2025** तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 25 अगस्त 2025 से पहले अनार और बरसाती अमरूद फल तोड़ता है तो 25 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
- ग- **25 प्रतिशत धनराशि 25 अक्टूबर 2025** तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 25 अक्टूबर 2025 से पहले मौसमी माल्टा फल तोड़ता है तो 25 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।

- घ- **5 प्रतिशत धनराशि 20 नवम्बर 2025** तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 20 नवम्बर 2025 से पहले सर्दी के अमरूद के फल तोड़ता है तो 5 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया गया है। अन्तिम किस्त 20 नवम्बर 2025 तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करवानी होगी।
26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म द्वारा फल तोड़ने से रोक कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी साथ ही देरी से धनराशि जमा करने पर 18% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। तत्पश्चात भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को रद्द कर पुन ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी।
27. ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर या पूरी धनराशि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करवानी होगी। किस्ते टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कोई किस्त समय पर जमा नहीं होती है तथा दूसरी किस्त का समय आ जाता है तो पिछली किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि व उस समय तक जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी व ठेका समाप्त कर दोबारा नीलामी कर दी जायेगी। यदि दोबारा नीलामी में ठेका राशि से कम धनराशि आती है तो यह धन राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
28. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर/उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार उसका भुगतान करेगा।
29. ठेका संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने तथा कोई देयता बाकी नहीं रहने पर ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि रुपया-**100000/-** (एक लाख) व प्रति भूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी।
30. ठेकेदार द्वारा लगाए गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और न ही उन्हें परेशान करेंगे यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
31. बोली छुटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण का प्रयास फार्म द्वारा किए जायेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयाशों के उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी।
32. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, उराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इन मामलों में उसका

ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी घरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

33. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। यह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि, का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
34. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति / औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्च पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
35. देशी पौध पर लगे फल जैसे आमला, जट्टी खट्टी आदि फल फार्म के होंगे।
36. फार्म के लिये विभिन्न प्रकार के **10.00** कुंटलजैसे आम, अमरूद, बेर, किन्नो आदि फल तथा **50** किलोग्राम फालसा फल आरक्षित रखे जाये गे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी
37. उक्त ठेके के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों में आपसी विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में दोनों पक्ष मामले का समाधान / निपटारा **Arbitration & Concillation Act 1996** की प्रावधान के अनुसार करने पर बाध्य होंगे। इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार एकल विवाचक (**Arbitration**) की नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएसडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, के द्वारा दोनों पक्ष की सहमिति से की जाएगी जो की दोनों पक्ष को मान्य होगा। विवाचक का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचक (**Arbitration**) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाचक (**Arbitration**) की भाषा अंग्रेजी (**English**) होगी व स्थान दिल्ली होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल दिल्ली स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा ।

सहायक प्रबन्धक (उद्यान)

कृते फार्म प्रमुख

उपरोक्त ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आवंटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

फोन न.....

ई-मेल आई.डी.....

बैंक खाते का विवरण.....

COMMERCIAL- BID

The Farm Head
Central State Farm,
10 K.M. Sirsa Road,
HISAR.

Sub: Your tender notice dated ----- for award of Fruit Contract of the farm for the period up to 31st March ,2026) .

Sir,

I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of Fruit contract of Central State Farm, Hisar for plucking and sale of fruits from farm orchards situated in an area of 51.00 Ha. For the period up to 31st March, 2026.

I declare that I have carefully read the terms & conditions of fruit contract and that I will comply with all the terms and conditions of the contract and offer my/our highest rates for the fruit contract rate are as under:

S.No.	Name of fruits and approximate area in Ha,	Rates for total area (51.00 Ha.)
	Guava--L-49, A.Safeda,etc-----19.00 Ber –Umaran ,Gola etc----- 14.00 Aonla-chakaiya,Banarasi ---- -0.80 Citrus-kinnow k.lemon etc--- -8.00 Bael-CISH-1 and others----- -4.00 Anar,Mango etc-----5.20 Phalsa-----1.50 TOTAL -----51. 00	

I/we agree with all the terms and conditions of fruit contract at Central State Farm Hisar (Haryana) as laid down by National Seeds Corporation Ltd.

Name & Signature and seal of Authorised

Signatories with official

stamp

Date :

Place :

TECHNICAL -BID

To
Farm Head,
Central State Farm,
10 KM Sirsa Rod, Hisar

FROM.....

.....

TENDER FORM FOR

Profiles of our company / firm are as under:

1. Particulars of the company / firm / Party :-

Name of the firm/company/Party with complete address, contact no. & E-mail address	Type of Firm i.e. proprietorship/partnership/Pvt. Ltd.company/ society/ Ltd. etc. with its Registration No.	Names & contact no. of Proprietor's/Partners /Directors etc.	Other information if any

Attach the necessary valid document in support of claim.

2 Details of the Past Fruit Contract work Experience if any :-

S.No.	Reference of fruit contract work undertaken from Govt./Semi Govt./ Autonomous Body, PSU, Organisations	From	To	Details of Contract

3 Registration::

PAN No.	Aadhar No.	Voter ID NO

4 EMD

Banker's Name	Draft no./UTR	Amount (in Rs.)

5 Authorization of competent authority to sign this Tender Document (Encl. copy)

6 A self Declaration Certificate that participant is not blacklisted by any office of the NSCL or any other Government Organization. (Enclose Copy).

I hereby certify that all the information mentioned above are true and in case any information is found to be incorrect, my bid may be treated as rejected by NSC management.

Thanking you,

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address:-----

Phone No: - -----

Mobile No. -----

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We.....Proprietor/Partner/Authorized signatory of
M/S..... do hereby solemnly confirm
and declare as under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/
Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/
Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations
from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me
by Central State Farm, Hisar, it comes to knowledge that any
information/documents related to fruit contract submitted by me are
false then CSF, Hisar may take disciplinary action against me as per
terms and conditions of the fruit Contact.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my
knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address:-----

Phone No: - -----

Mobile No. -----

Check list of documents required to fulfill the eligibility criterias of
Technical bid of fruit contract

Signature with Stamp :

Sl.No	Document	Details and validity period	Remarks
1	Pan No		
2	Aadhar card No.		
3	Voter ID No.		
4	Work Experience certificate relating to satisfactory completion of fruit contract of Govt/Semi Govt/Autonomous Body/PSU/ others		
5	E.M.D of Rs 1,00,000/- Transactions details of RTGS/NEFT of online deposit of EMD by tenderer.		
6	Terms & Conditions of fruit contract duly signed Note : Each page of T & C should be signed by tenderer		
7	Undertaking regarding compliance of all the provisions of contract labour laws and non blacklisting of his firm		

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि.मी. सिरसा रोड़, हिसार
ई-निविदा आमंत्रण सुचना

केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के 51.00 है० क्षेत्र में स्थित बाग के विभिन्न प्रकार के फर्मों जैसे अमरूद, बेर, किन्नो, आम, फालसा, आंवला आदि को वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.03.2026 तक के लिये) फल तोड़कर ले जाने का अधिकार लेने की इच्छुक पार्टियों से दिनांक 31.03.2025 को 1.00 बजे तक दो निविदा प्रणाली के अंतर्गत ई-टेंडरिंग द्वारा आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, यदि किसी कारणवश दिनांक 31.03.2025 को निविदा सफल नहीं हो पाती है तो दिनांक 07.04.2025 व 14.04.2025 को पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है। बाग फलों के ठेके की निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी व दस्तावेज निगम के ई-पोर्टल-<https://indiaseeds.enivida.com> एवं वेबसाइट www.indiaseeds.com से डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बिना कोई कारण बताये किसी / सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सहायक प्रबन्धक (उद्यान)

मो.नं.-8219586218

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि.मी. सिरसा रोड़, हिसार
ई-निविदा आमंत्रण सुचना

केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के 51.00 है० क्षेत्र में स्थित बाग के विभिन्न प्रकार के फर्मों जैसे अमरूद, बेर, किन्नो, आम, फालसा, आंवला आदि को वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.03.2026 तक के लिये) फल तोड़कर ले जाने का अधिकार लेने की इच्छुक पार्टियों से दिनांक 31.03.2025 को 1.00 बजे तक दो निविदा प्रणाली के अंतर्गत ई-टेंडरिंग द्वारा आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, यदि किसी कारणवश दिनांक 31.03.2025 को निविदा सफल नहीं हो पाती है तो दिनांक 07.04.2025 व 14.04.2025 को पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है। बाग फलों के ठेके की निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी व दस्तावेज निगम के ई-पोर्टल-<https://indiaseeds.enivida.com> एवं वेबसाइट www.indiaseeds.com से डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बिना कोई कारण बताये किसी / सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

मो.नं.-8219586218